Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर में केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो का इन्सपेक्टर 2 लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आरोपी द्वारा नारकोटिक्स के प्रकरण में आरोपी नहीं बनाने की एवज में मांगे थे 5 लाख रुपये**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *14 दिसम्बर।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर नगर तृतीय इकाई द्वारा आज बुधवार को कार्यवाही करते हुये अमन फौगाट इन्सपेक्टर, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, जयपुर को परिवादी से 2 लाख रुपये (30 हजार रुपये प्रचलित भारतीय मुद्रा एवं 1 लाख 70 हजार रुपये डमी करेंसी) रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर नगर तृतीय इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि नारकोटिक्स के झूठे प्रकरण में आरोपी नहीं बनाने की एवज में अमन फौगाट इन्सपेक्टर, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, जयपुर द्वारा 5 लाख रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जयपुर नगर तृतीय इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हिमांशु** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये अमन फौगाट पुत्र श्री ओमप्रकाश फौगाट निवासी बड़सरी का बास, पुलिस थाना एवं तहसील सुजानगढ़, चूरू हाल इन्सपेक्टर, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, जयपुर को परिवादी से **2 लाख रुपये की रिश्वत** (30 हजार रुपये प्रचलित भारतीय मुद्रा एवं 1 लाख 70 हजार रुपये डमी करेंसी) लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि कार्यवाही के दौरान आरोपी के आवास से तलाशी से 6 लाख रुपये नकद अतिरिक्त बरामद किये गये हैं।

एसीबी के उपमहानिरीक्षक पुलिस डॉ. विष्णुकान्त के निर्देशन में आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।